राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(क)(या)(145)डीएलबी/19/ 159-71 दिनांक 30/1/2020

1. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) विभाग,
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क–2) विभाग,
3. उप शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग,

विषयः– स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.01.2020 का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 10.02.10 के अनुसरण में गठित विभाग की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.01.2020 में चार प्रकरणों में आगे अपील नही (नो अपील) किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसका बैठक कार्यवाही विवरण पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

दिनांक 30/1/2020

क्रमांकः प.8(क)(या)(145)डीएलबी/19/ 172 to 180
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. उप निदेशक (प्रशासन), स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, बांसवाडा/श्रीगंगानगर/किशनगढ/विजयनगर।
5. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D/DLB/ Ajay ji SLO/Letter

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(क)(या)(195)/डीएलबी/18/155 दिनांक 29/01/2020

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 10.02.10 के अनुसारण में गठित विभाग की स्थाई समिति की बैठक का आयोजन आज दिनांक 08.01.2020 को शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1. श्री उज्जवल राठौड़, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. श्रीमती मुदिता भार्गव, विशिष्ठ शासन सचिव विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री जय सिंह, संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. श्री संजय माथुर, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. श्री धीरज सिसोदिया, उप शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राज. जयपुर।

स्थाई समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किऐ जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. ***विरेन्द्र कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 1733/18, निर्णय दिनांक 09.08.19।***

उक्त प्रकरण सफाई कर्मचारी भर्ती–2012 एवं 2018 के संबंध में पारित किया गऐ माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ के निर्णय से संबंधित है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लॉटरी प्रणाली से की गई इन सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रकिया को वैध माना गया है, तथा सफाई कर्मचारी चयन प्रकिया–2012 की शेष बची हुई रिक्तियों को सफाई कर्मचारी भर्ती–2018 में शामिल किऐ जाने को भी उचित माना गया है, ऐसे में उक्त दोनो बिन्दु राज्य सरकार के पक्ष में निर्णित होने के कारण समिति द्वारा इन बिन्दुओं पर अपील/नो–अपील का विचारण अपेक्षित नहीं है।

माननीय न्यायालय द्वारा तृतीय बिन्दु के रूप में वर्ष 2018 की भर्ती प्रकिया में सामान्य वर्ग की रिक्तियों को आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों से, जिनके द्वारा भर्ती प्रकिया में विहित अर्हताओं में किसी प्रकार की कोई छूट ली गई है, को भी चयन हेतु पात्र माने जाने को उचित नहीं माना गया है, तथा उक्त अनारक्षित पदो पर नियमानुसार भर्ती के निर्देश लॉटरी के माध्यम से किऐ जाने के आदेश पारित किऐ गऐ है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा उक्त निर्देशो के साथ–साथ यह भी आदेश पारित किया है कि, ऐसे अभ्यर्थी, जो कि अवैध अभिलेखो के आधार पर चयनित एवं नियुक्त हो चुके है, के अभिलेखो का विस्तृत परीक्षण कर इन अभ्यर्थियों को सेवा से प्रथक किया जाऐ, एवं इन रिक्तियों पर पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाऐं।

कमेटी द्वारा निर्णय के उक्त बिन्दु पर विस्तृत एवं गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ का उक्त निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गौरव प्रधान बनाम राजस्थान सरकार पर अवलम्बित

Scanned by CamScanner

किया गया है, ऐसे में उक्त निर्णय के विरूद्ध आगे अपील किऐ जाने का कोई विधिक आधार उपलब्ध नहीं है। अतः समिति द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध एस.एल.पी. नहीं किऐ जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभावो का परीक्षण करने तथा उक्तानुसार प्रभावित होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में प्रथक से नीतिगत निर्णय लिऐ जाने हेतु उपनिदेशक (प्रशासन), स्वायत्त शासन विभाग को निर्देशित किया जाता है।

2. ***राजस्थान सरकार बनाम ओम प्रकाश चावला व अन्य डी.बी.सिविल अपील संख्या 401/16 निर्णय दिनांक 26.02.18।***

प्रकरण में नगरपालिका के कर्मचारियों के द्वारा नगरपालिका पेंशन नियम 1989 के तहत गलत विकल्प प्रदान करने तथा पेंशन के स्थान पर सी.पी.एफ. का चयन करने तथा कालान्तर में अपने उक्त विकल्प को परिवर्तित कराऐ जाने से संबंधित है। उक्त याचिगण द्वारा संशोधित विकल्प प्रस्तुत किऐ जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार उक्त विकल्प स्वीकार्य नहीं होने के कारण, उक्त विकल्प को निरस्त किया गया, जिसे याचिगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय एकलपीठ द्वारा दिनांक 20.05.16 को उक्त याचिका को श्रीमती रेशमा देवी एवं श्रीमती लक्ष्मीदेवी के प्रकरणो में पारित निर्णयों से अधिशाषित करते हुए निस्तारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय खण्डपीठ में अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अध्याक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.18 के द्वारा माननीय खण्डपीठ ने कार्मिको के अशिक्षित एवं निम्नतम् सेवा संवर्ग के होने के कारण, नियमो की जानकारी नहीं होने की उपधारणा के आधार पर, सहानुभूति एवं संवेदना के आधार पर विभाग की खण्डपीठ अपील को खारिज किया गया है। श्रीमती रेशमा देवी एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी के प्रकरणो में पारित निर्णयों की अनुपालना संबंधित नगरपालिका पदमपुर द्वारा वर्ष 2009 में ही पूर्ण की जा चुकी है। ऐसे में हस्तगत् निर्णय के संबंध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त माननीय सवोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. नही किऐ जाने का निर्णय लिया गया।

3. ***सुरेन्द्र सिंह बनाम सरकार एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11983/ 11 निर्णय दिनांक 05.12.2018।***

प्रकरण में याची नगर परिषद किशनगढ में कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 24.11.98 से दिनांक 02.03.2000 के मध्य स्टोर किपर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान सी.सी.ए. नियम–16 से आरोपित किया गया, जिसमें याची को लापरवाही का दोषी मानते हुए तथा स्टोर में रखे गये सीमेन्ट के कट्टो को जमने एवं खराब होने का दोषी मानते हुए दिनांक 05.10.10 को तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचेयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डि किया गया, जिसके विरूद्ध याची द्वारा दायर अपील भी दिनांक 23.05.11 को खारिज की गई, जिसके विरूद्ध याची द्वारा हस्तगत् अपील प्रस्तुत की गई।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश एवं उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर विस्तृत विवेचन उपरान्त यह पाया गया है कि उक्त प्रकरण में पारित दण्डादेश, नो–ऐवीडेन्स का प्रकरण है, जिसमें बिना किसी समुचित साक्ष्यो के जांच कार्यवाही में याची को दण्डित किया गया है, ऐसे में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दण्डादेश को अपने निर्णय से अपास्त किया गया है।

स्थाई समिति द्वारा उक्त निर्णय पर सम्यक विचरोपरान्त आगे अपील नहीं किऐ जाने का निर्णय लिया गया।

4. ***किस्तूर चंद जाटव बनाम राजस्थान सरकार, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 670/06 निर्णय दिनांक 08.02.2017।***

Scanned by CamScanner

प्रकरण में याची श्री जाटव नगरपालिका विजयनगर में दिनांक 17.07.1996 को सफाई निरीक्षक के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में रखा गया था, जिसे दिनांक 31.05.97 को धारा 25–एफ की पालना नहीं करते हुए सेवामुक्त किऐ जाने पर याची द्वारा माननीय श्रम न्यायालय में एल.सी.आर. संख्या 18/99 दायर किया गया, जिसमे पारित अवॉर्ड दिनांक 30.01.04 के द्वारा श्रमिक को पुनः सेवा में नियोजित किया गया। माननीय श्रम न्यायालय द्वारा पारित अवॉर्ड में संबंधित नगरपालिका को छटनी के लिऐ नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रखे जाने पर नगरपालिका द्वारा अपने छटनी आदेश दिनांक 16.01.06 के द्वारा याची को पुनः सेवा से पृथक किया गया। याची द्वारा उक्त आदेश को हस्तगत याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा याची को पुनः सेवा में नियोजित किऐ जाने के स्थान पर एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 2 लाख रूपये भुगतान के निर्देश 6 प्रतिशत ब्याज के साथ, प्रदान किऐ गऐ।

स्थाई समिति द्वारा पारित निर्णय का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय वित्त विभाग के निर्देशो के अनुरूप ही है, लिहाजा समिति द्वारा निर्णयविरूद्ध आगे अपील नहीं किऐ जाने का निर्णय लिया गया।

(धीरज सिसोदिया)
उप शासन सचिव
वित्त (नियम) विभाग राज.
जयपुर

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि
परामर्शी स्वायत्त शासन
विभाग राज. जयपुर

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव
कार्मिक (क–2) विभाग
राज. जयपुर

(मुदित भार्गव)
विशिष्ट शासन सचिव विधि
(प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि
परामर्शी विधि विभाग राज.
जयपुर

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज. जयपुर

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज. जयपुर

Scanned by CamScanner